न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर

9/211/19

तारीख रजू ....

.... बनाम ....

पुरुषोत्तम वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
[illegible].12.2019	वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद मे वकील सायल ने शपथ पत्र, नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया। वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में बखूबी सावित है। अतः अप्रार्थीगण को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी /तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी .ख न. 452, 453, 454, 515, 522, 633, 635, 644, 550, वाके ग्राम घोसराणा तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात मे रिकॉर्ड एव मौके की यथास्थिति बनाये रखे। अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत् कोई उज्र हो तो दिनांक 06.02.2020 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 06.02.2020 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
6.2.20	वकील प्रार्थी उपस्थित। RA तलबी जारी करे पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 26/3/20 को पेश हो।	DL 150 19/[illegible]
26.3.20	पत्रावली पेश हुई। आज वाद एसा. न [illegible] स्थगित कर रखा है। P.O. साहब अवकाश पर है। पत्रावली दिनांक 14/5/20 को पेश हो।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21/3/24	वकील प्रार्थी उपस्थित नहीं आये वकील व उनके प्रार्थी को अनु. 2 आवाज दिलाई यदि कोई उपस्थित नहीं आया अतः प्रार्थी का प्रा. पत्र 42 RTA वकील प्रार्थी के अदम पैरवी - अदम हाजरी में प्रार्थी स्टेज पर खारिज किया जाता है पत्रावली [illegible] हुक्म दाखिल दफ्तर SDM 21.3.24 उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	